पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)–753 / 24.–.के0–5128

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

प्रेषक,

सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 06 / 09 / 2025

विषयः कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा, सितम्बर, 2025 तथा कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 09वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सितम्बर, 2025 की गोपनीय सामग्रियों (प्रश्न–पत्र) के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा एवं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सितम्बर, 2025 दिनांक 19.09.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक की अवधि में तथा** कक्षा **09वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सितम्बर, 2025 दिनांक 24.09.2025 से दिनांक 26.09.2025 तक की अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान/विद्यालयों में आयोजित होगी।**

2. उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा **दिनांक 12.09.2025 से 17.09.2025** तक की अवधि में गोपनीय प्रश्न–पत्र आपके जिला में प्राप्त कराया जाना संभावित है। इसलिए यह आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूरित प्रश्न–पत्र निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वितरण केन्द्रवार प्राप्त कराकर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाए तथा गोपनीय प्रश्न–पत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए।

3. उक्त परीक्षा के लिए आपके स्तर से कक्षावार विद्यालयों/शिक्षण संस्थान की संख्या के आधार पर समिति द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में आपके द्वारा गोपनीय सामग्रियों के संधारण एवं वितरण हेतु निर्धारित संख्या में वितरण केन्द्र का चयन किया गया है। तदनुसार गोपनीय प्रश्न–पत्रों के पैकेट जिला मुख्यालय में चिन्हित उपयुक्त वितरण केन्द्र वाले बड़े भवनों (विद्यालय परिसर में अवस्थित) में संबंद्ध विद्यालयों के प्रधान/प्राधिकृत शिक्षक को परीक्षा प्रारंभ की तिथि के पूर्व हस्तगत कराया जायेगा ताकि कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा तथा कक्षा 12वीं, 10वीं तथा 09वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा, सितम्बर, 2025 ससमय प्रारंभ करने में कोई बाधा उत्पन्न न हों।

4. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि शिक्षण संस्थान/विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्तर से स्पष्ट निदेश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में आपूरित सामग्रियों की गोपनीयता भंग न होने पाये एवं गोपनीय प्रश्न–पत्र तथा उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित संधारण की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान/विद्यालय के प्रधान की होगी।

5. विषयांकित वितरण की गोपनीयता तथा परीक्षा की शुचिता बनाये रखने का दायित्व आपका भी है, अतः सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है।

विश्वासभाजन
6/9/25
सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–753 / 24–5128 / पटना, दिनांक : 06 / 09 / 2025

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/25
सचिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

Letter A_24-25_196